


92/19


अज अदालत उपखण्ड अधिकारी (राजस्व), श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर


मुखत्यार सिंह बनाम रोमेन्द्र सिंह

किरम मुकदमा धारा 183 आरटीए नम्बर 92 सन् 2019

तामिल हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
18.11.19	<p>वादी मुखत्यार सिंह पुत्र (रोमेन्द्र) सिंह जाति जटसिख निवासी 52 जीजी गुलाबेवाला तहसील श्री करणपुर ओर से अधिवक्ता श्री दलजीत सिंह ने वाद पत्र अंतर्गत धारा 183 आरटीए पेश किया। वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रतिवादी को जरिए सम्मन तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 25.11.2019 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">                       (मूलचन्द लूणिया)                      उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)                      श्रीकरणपुर                 </p>	
25/11/19	<p>वकील फरीकन उपस्थित श्रीमान् PO साहब अन्य कार्य में व्यस्त हैं। प्रतिवादी सं. 1 की ओर से अधिवक्ता श्री दलजीत पत्रावली दिनांक 25/11/19 को पेश हो। (रोमेन्द्र) सिंह ने वकालतनामा पेश किया (9/11/19)</p>	
17/12	<p>अधिवक्तागण उपस्थित। जवाब दावा हेतु समय प्राप्त। पत्रावली वास्ते जवाब दावा दिनांक 21/1/20 को पेश हो।</p>	
21/1/20	<p>वकील फरीकन उपस्थित श्री मान PO साहब... पत्रावली दिनांक 21-1-2020 को पेश हो।</p>	
23-1-2020	<p>अज्ञात पत्रावली की कोर्ट में उपस्थितता पूर्वक न्यायिक प्रक्रिया प्रारम्भ होगी। अधिवक्तागण के द्वारा कोर्ट में पेश किया गया। वाद पत्रावली के लिए दिनांक 23/1/2020 को पेश किया गया।</p>	



  
 उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
 श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

Not Press  
  
 23/1/2020